प्रेषक,

कमलेश कुमार
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी बब्बू उर्फ बाबूराम पुत्र श्री मुल्लू, निवासी जनपद-महोबा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-14412/प्रो0अनु0(2)-249/2023 (बैठक दिनांक 01.05.2023), दिनांक 28.05.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी बब्बू उर्फ बाबूराम पुत्र श्री मुल्लू, पचपहरा, थाना-खन्ना, जनपद-महोबा का निवासी है। बंदी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 29.12.1990 को दिन में 4:00 बजे अपने 14 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा, लाठी, बन्दूक, कुल्हाडी आदि से प्रहार कर 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-382/1991 में भा०द०वि० की धारा 302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश महोबा के आदेश दिनांक 02.08.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.07.2015 द्वारा बंदी की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 11.04.2023 तक 21 वर्ष, 04 माह, 25 दिन की अपरिहार तथा 27 वर्ष, 11 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 11.04.2023 तक 57 वर्ष, 07 माह, 06 दिन है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 29.12.1990 को दिन के 4:00 बजे बंदी द्वारा अपने 14 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा, लाठी बन्दूक, कुल्हाड़ी आदि से प्रहार कर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक, महोबा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बब्बू उर्फ बाबूराम पुत्र श्री मुल्लू को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर 180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी बब्बू उर्फ बाबूराम(बन्दी सं0- 332/15) पुत्र श्री मुल्लू, निवासी जनपद-महोबा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 296/2026/836(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महोबा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।